Toppersnotes
Unleash the topper in you

UK – PCS

State Civil Services

Uttarakhand State Combined Civil/Upper Sub-Ordinate Exam

(Preliminary & Main)

पेपर – 2 भाग – 1

भारत एवं उत्तराखंड राजव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

विषय सूची

भारतीय राजव्यवस्था

1.	भारतीय राज्यव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्टभूमि	1
2.	संविधान सभा	8
3.	1956 मे 7 वां संविधान संशोधन अधिनियम	15
4.	देश का एकीकरण	16
5.	अनुसूचियाँ	18
6.	राज्य के तत्व	20
7.	कार्यपालिका	21
8.	संविधान का प्रकार	22
9.	भारतीय संविधान के स्त्रोत	23
10.	संघ व राज्य क्षैत्र	25
11.	मूल अधिकार	26
12.	42वां संविधा संशोधन	28
13.	मौलिक अधिकार	28
14.	17वाँ संविधान संशोधन	46
15.	मूल कर्तव्य	48
16.	राष्ट्रपति व राज्यपाल	51
17.	प्रधानमंत्री	60
18.	संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था	68

19.	संविधान संशोधन	69
20.	संसद	72
21.	लोकसभा	74
22.	न्यायपालिका	100
23.	राज्य विधानमण्डल	110
24.	वित्त आयोग	114
25.	राष्ट्रीय विकास परिषद	116
26.	राष्ट्रीय आपातकाल	118
27.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	122
28.	पंचायती राज व नगरीय स्वशासन संस्थाऐं	128
29.	निर्वाचन आयोग	134
30.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	136
31.	केन्द्र राज्य सम्बन्ध	139
32.	राज्य की राज्य राजनीति	152
33.	राजनीतिक आंदोलन	176
34.	राज्य की कार्यपालिका	180
35.	मुख्यमंत्री	184
36.	राज्य निर्वाचन आयोग	197

उत्तराखंड राजव्यवस्था

1.	उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	203
2.	उत्तराखंड प्रशासनिक पृष्ठभूमि	207
3.	राजनीतिक व्यवस्था, दलीय राजनीति, गठबंधन सरकारो की राजनीति, क्षेत्रीय दलो की भूमिका और कार्य तथा दबाव समूह	214
4.	उत्तराखंड की समाज कल्याण योजनाएँ	228

Toppersnotes
Unleash the topper in you

भारतीय राज्यव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्टभूमि

भारत मे ब्रिटिश 1600 ई. में ईष्ट इण्डिया कम्पनी के रूप मे व्यापार करने के लिए आये थे इन्होंने भारत मे व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था ।

बक्सर के युद्ध (22 अक्टूबर1764) के बाद प्रथम बार 1765 मे कम्पनी को बंगाल, बिहार व उडीसा की दीवानी प्राप्त हुई ।

दीवानीः- दीवानी से तात्पर्य है राजस्व संग्रहण व नागरिक न्याय की षक्ति ।

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

1. इसके माध्यम से बंगाल के गर्वनर को बंगाल का गर्वनर बनाया गया । उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई । प्रथम गर्वनर जनरल वार्नर हेरिन्टंग था ।
2. बॉम्बे एवं मद्रास के गर्वनरो को बंगाल के गर्वनर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले स्वतंत्र ।
3. इसके माध्यम से 1774 मे कलकत्ता मे एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमे एक मुख्य न्यायधीश एवं अन्य न्यायधीश थे ।
4. कम्पनी सर्वोच्च सत्ता (गवर्निग बोडी) court of directors को राजस्व नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया । उक्त एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कम्पनी के राजनैतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुऐ भारत मे केन्द्रीय प्रषासन की नीवं रखी ।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट

1. इसमे कम्पनी के वाणिज्य एवं राजनैतिक कार्यो को पृथ्क कर दिया गया ।
2. इसमे कोर्ट ऑफ डायरेक्ट निदेषक मण्डल को वाणिज्य कार्यो की छूट दी किन्तु राजनैतिक कार्यो के लिए book of central बनाया ।
3. भारत मे स्थित सभी ब्रिटिश क्षैत्र तथा परिसम्पत्ति के सैन्य एवं नागरिक कार्यो पर निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ सेन्ट्रल नियंत्रक मण्डल को दी
4. प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया Board of control व court of directors

1833 का चार्टर एक्ट

1. बंगाल के गर्वनर जनरल को भारत का गर्वनर जनरल बनाया गया । -सारी नागरिक व सैन्य शक्ति उसमे निहित की गई । भारत के प्रथम गर्वनर जनरल विलियम बैटिंग थे ।
2. बम्बई व मद्रास के गर्वनरों से कानून बनाने की षक्ति छीन ली गई सारी शक्ति बंगाल के गठित थी ।
3. ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप बदला यह व्यापारिक कम्पनी नही रही बल्कि प्रशासनिक संस्था बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की और से कार्य करेगी ।
4. प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भर्तियो मे आधार बनाने का इसफल प्रयास किया गया तथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदो के उपयुक्त माना गया ।
   इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की सरकार की संकल्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा ।

1853 **A.D.** का चार्टर एक्ट

1. इसमे प्रथम बार गर्वनर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका कार्यो को अलग किया 6 नये सदस्य जोडे गये जिन्हे विधायी पार्षद कहा गया । अर्थात गर्वनर जनरल की एक विधान परिषद बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया यह एक छोटी ब्रिटिष संसद की तरह थी जिसमे वही प्रक्रियाये अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन मे अपनाई जाती थी ।
2. सिविल सवर्को की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारम्भ दो प्रकार की सेवाये थी
   1. उच्च Candidate से बात
   2- निम्न Unconventade

   इस एक्ट मे उच्च सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेंवा के लिए 1854 मे मैकोले समिति गठित की गई ।
3. यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निष्चित समयवधि नही दी गई ।

1858 का भारत शासन अधिनियम

प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद भारत मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी का षासन समाप्त किया गया तथा सारी सत्त ब्रिटिष राजमुकुट (क्राऊन) के अन्तर्गत आ गई इस अधिनियम को ंबज वित जीम golden government of india भारत की ईच्छा सरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम कहते है

1. भारत का षासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जायेगा ।
2. भारत का गर्वनर जनरल को भारत का वायसराय एवं गर्वनर जनरल कहा जाने लगा ।
   - वह भारत मे ब्रिटिष राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधी था ।
   - प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग था ।
3. Bord वह Contorol तथा Court of Director समाप्त का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया ।
4. एक नये पद भारत का राज्य सचिव (Secretary of state for india) का सर्जन किया गया ।
   - सम्पूर्ण सत्ता एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के राज्य सचिव को दिया गया जो कि ब्रिटिष केबनि का एक सदस्य होता था ।
5. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य समिति बनाई गई
   - इसमे सलाहाकार कुछ सदस्य राजमुकुट की ओर से मनोनीत थे तथा कुछ मनोनयन (Nomination) Board of directors की तरफ से था । 15 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष भारत का सचिव था ।
6. यह समिति का नियमित निकाय थी जिसे भारत एवं इग्लैण्ड मे मुकदमे मे एक पक्ष बनाने का अधिकार था अर्थात यह किसी पर मुकदमा कर भी सकती थी तथ इस पर मुकदमा किया जा सकता था इनका ऑफिस ब्रिटेन मेही था ।

कमी

1. यह केवल एकात्मक ही नही अपितु पूर्ण एकात्मक षासन था सम्पूर्ण क्षैत्र का विभाजन प्रान्तों मे किया गया था जिसका मुखिया G.G. था उसकी अपनी एक्जिक्यूल्वि काउंसिल थी किन्तु से सभी भारत सरकार अर्जेन्ट प्रतिनिधी मात्र थे तथा सारे कार्य वायसराय एवं गर्वनर जनरल के आदेषानुसार किये जाते थे ।

2. विधामिक कार्यपालिका अथवा नागरिक या सैन्य पर कोई विभाजन नही था ।
3. जनता की राय का किसी स्तर पर कोई महत्व नही था ।

1861 का भारत परिषद अधिनियम

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिष सरकार को षासन मे भारतीयों का सहयोग आवष्यक लगा इतः उनत अधिनियम मे निम्न प्रावधान किये गये ।

1. वायसराय की विस्तरित परिषद मे गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नामकिन सम्भव हुआ । 1862 मे प्रथम बार लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों -बनारस के राजा पटियाला के राजा, दिनकर रात को नामकिंत किया ।
2. बम्बई और मद्रास प्रान्त को अपनी विधायी षक्तियां वापस मिली अर्थात विकेन्द्रीकरण की दुबारा शुरूआत हुई ।
3. इसके माध्यम से बंगाल उत्तर पष्चिम सीमा प्रान्त परिषदों का गठन हुआ ।
4. इसमे वायसराय को परिषद मे कार्य संचालन के लिए अधिक नियम व आदेष बनाने की स्वतंत्रता दी 1859 मे लार्ड कैनिंग द्वारा प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली मंत्रालय को मान्यता दी अर्थात वायसराय की परिषद का कोई सदस्य एक या अधिक सरकारी का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे परिषद के ओर से अन्तिम आदेष पारित करने का अधिकार था ।
5. इसमे आपात काल मे वायसराय को विधायी परिषद की सलाह के बिना आध्यादेश लागू करने की शक्ति दी जिसकी अवधि 8 माह थी ।

कमियाँ

1. ये प्रतिनिध्यात्मक नही थी ।
2. मात्र वायसराय के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा अधिकार था ।
3. वायसराय की इच्छा से ही बिल प्रस्तुत किया जा सकता था ।
4. विधेयक के पास होने पर भी वायसराय को वीटे का अधिकार था तथा राजमुकुट के विचारार्थ रखने लेने का भी अधिकार था ।
5. अध्यादेष का अत्यन्त व्यापक अधिकार दिया गया था ।

1892 का भारत परिषद अधिनियम

1. इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदो मे अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यो की संख्या बढाई गई किन्तु बहुमत सरकारी सदस्यों का था ।
2. इसमे विधानपरिषदों के कार्यो मे वृद्धि की जैसे बजट पर चर्चा का अधिकार कार्य पालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार ।
3. इसके माध्यम से भारतीय विधानपरिषद के गैर सरकारी सदस्यों का माननीय प्रान्तीय विधान परिषद तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ के माध्यम से तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यो का मनोनयन विष्वविद्यालय जिला बोर्ड व्यापर संघ नगरपालिका तथा जमींदारी के द्वारा किया जाना था अन्तिम निर्णय वायसराय गर्वनर का होता था ।

यद्यपि उक्त अधिनियम मे चुनाव षब्द का प्रयोग नही हुआ किन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों मे गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक समिति एवं अप्रतयक्ष मतदान का प्रयोग किया गया

1909 का भारत शासन अधिनियमः- इसे मॉर्ले-मिन्टो सुधार कहते है

लार्ड मार्ले भारत सचिव था तथा मिन्टो भारत वायसराय था ।

विशेषता

1. इसमे केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या मे काफी वृद्धि की गई (60) राज्यों मे संख्या अलग अलग थी ।
2. केन्द्रीय विधानपरिषदों मे सरकारी बहुमत रखा गया किन्तु प्रान्तो मे गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई ।
3. विधानपरिषदों की चर्चा सम्बन्धी अधिकारो मे दोनो स्तरो पर वृद्धि हुई जैसेः- पूरक प्रष्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना आदि ।
4. प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गर्वनर की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने की अनुमति मिली सत्येन्द्र प्रसाद सिनहा प्रथम भारतीय थे जिन्हे वायसराय की कार्यकारी परिषद मे विधी सदस्य बनाया गया ।
5. मुस्लिमो के लिए साम्प्रदायकि आधार पर प्रतिनिधत्व का सिद्धान्त दिया गया जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल separate electorate की बात की गई ।

कमियां

1. साम्प्रदायिक विभाजन क्षैत्र
2. लगभग सभी अन्तिम निर्णय अनुत्तरदायी कार्यकारी (वायसराय गर्वनर) के अधिकारी क्षैत्र मे थे ।
3. राष्ट्रवादियों की संसदीय शासन वाली उत्तरदायी सरकारी बनाने मे असफल ।

1919 का भारत शासन अधिनियम

20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उसका देष्य भारम मे एक उत्तरदायी षासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिष साम्राज्य अखण्डनीय अंग की तरह होगा ।

- इसी आधार पर 1919 मे भारत षासन अधिनियम लाया गया जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते है ।
- मॉन्टेग्यू भारत सचिव था तथ चेम्सफार्ड भारम का वायसराय था (मोन्ट फोर्ड एक्ट)

विशेषता

1. केन्द्रीय व प्रान्तीय विषयों की अलग अलग सूची बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ यद्यपि राज्यो का अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था किन्तु सरकार का ढाँचा केन्द्रीय और एकात्मक हो रहा है।

2. प्रान्तीय विषयों को दो भागो मे बांटा गया आरक्षित और हस्तान्तरित
   - हस्तान्तरित विषयो पर गर्वनर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियो के माध्यम से शासन करेगा
   - आरक्षित विषयों का षासन गर्वनर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से बिना विधायी परिषद के हस्तक्षैप के करेगा अर्थात यह एक द्वेध शासन था
   - विधायिका मे बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था

3. इस अधि. मे पहली बार द्वि सदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद के दो सदन थे लेजिस्ले असेम्बली (लोकसभा) व काउन्सिल ऑफ स्टेट (राज्यसभा) दोनो सदनो के बहुसंख्यक सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे महिलाओ को मताधिकार नही दिया गया ।
4. शिक्षा कर और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया

5. वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यो मे से कमांडर इन चीफ को छोडकर तीन सदस्यो का भारतीय होना आवष्यक था । इसमे मुस्लिमो के अतिरिक्त सिक्ख भारतीय, ईसाई एग्लों इण्डियन व यूरोपीय लोगो के लिए भी पृथ्क निर्वाचन क्षैत्र का प्रावधान किया ।
6. लन्दन मे भारतीय उच्चायुक्त का पद जृनित किया तथा भारत सचिव के कुछ गैर कार्यो को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया ।
7. एक लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया । उच्च नागरिक सेवाओ के लिए गठित ली आयोग की सिफारिषों के आधार पर 1926 मे सिविल सेवेको की भर्ती हुतु एक केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।
8. केन्द्रीय बजट को राज्यो के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओ को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकार दिये गये ।
9. इसके अन्तर्गत एक वैद्यानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा ।

कमियाँ

1. कोई भी प्रान्तीय दल गर्वनर की स्वीकृति बाद वायसराय की अनुमति के लिए रोका जा सकता था
2. यद्यपि प्रान्तो को अपने विषयों पर कानून बनाने का तथा टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था किन्तु यह संघात्मक शक्ति वितरण नही था क्योकि यह षथ्कत केन्द्र, द्वारा प्रत्यायोजन के आधार पर दी गई थी
   - केन्द्रीय विधानपरिषद भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी
3. केन्द्र मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना नही थी वायसराय भारत सचिव का अधिकार गर्वनर जनरल के पास था
4. अधिकांश विषयों पर गर्वनर जनरल की अनुमति के बिना चर्चा नही की जा सकती थी ।
5. वित्त एक आरक्षित विषय था जो कार्यकारी परिषद के सदस्य के अधीन था अतः धन की समस्या के कारण कोई प्रस्ताव आगे नही बढ पाता था ।
6. **ICS** के सभी सदस्य जिनके माध्यम से मंत्रियो को अपनी नीतियां क्रियाविन्यत करनी थी वे भारम सचिव द्वारा भर्ती किये जाते थे तथ मंत्रियो के स्थान पर भारत सचिव के लिए उत्तरदायी थे ।

1920 A.D. ने मद्रास मे सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

भारत शासन अधिनियम 1935

1. इसमे एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिससे प्रान्तो और रिसायतो को सम्मलित किया तीन सूचियां बनाई गई
   1. केन्द्रीय सूची 59 विषय
   2. प्रांतीय सूची 54 विषय
   3. समवर्ती सूची 36 विषय अवशिष्ट शक्तिया वायसराय को दी गई ।

   यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व मे नही आई क्योकि देषी रिसायतो ने इनमे शामिल होने से मना कर दिया

2. प्रान्तो मे द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रान्तीय स्वायत्ता प्रारम्भ हुई राज्य सुची के विषयो मे स्वंतत्रता दी गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योकि गर्वनर को मंत्रियो की सलाह के अनुसार कार्य करना था लौ कि प्रांतीय विद्यायिका के लिए जबाब देह थे ।

3. संघीय स्तर रप द्वैध शासन प्रारम्भ हुआ ।
   - संघीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तान्तरित मे विभक किया गया ।
   - भारतीय विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदो जिनकी अधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी के माध्यम से गर्वनर जनरल को शासन अधिकतम 10 मंत्रियो के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद के लिए उत्तरदायी थें ।
4. इसमे 11 मे से 6 प्रान्तो मे द्विसदनात्मक प्रणाली प्रारम्भ की बंगाल, बाम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार, संयुक्त प्रान्त उच्च सदन को विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) कह व निम्न सदन से विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहा ।
5. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढाया गया दलिता महिलाओ एवं मजदूरो को पृथ्क निर्वाचन क्षेत्र दिये गये
6. 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकारो का एक दल उपलब्ध करवाया गया ।
7. मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10 प्रतिषत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया
8. संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया ।
9. भारत की मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए RBI का प्रावधान
10. संघीय न्यायलाय कर स्थापना का प्रस्तावअ रखा गया जो 1937 मे गठित हुआ इसकी स्थपना अन्तर्राष्ट्रीय विवादो तथा संविधान (1935 अधिनियम) की व्याख्या हेतु की गई जिसकी अपील लंन्दन मे पिवी काउंसिल मे की जा सकती है महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

कमियाँ व विशेषतायेँ

1. पूर्व के सभी अधिनियमो मे भारत सरकार एकात्मक था इसके माध्यम से एक संघ का प्रस्ताव किया गया था जिससे सम्मलित होने का रियासतो को स्वेच्छा से अधिकार दिया गया था ।
2. केन्द्रीय स्तर पर संघ नही बन पाया किन्तु प्रान्तीय स्वायत्ता के तहत 1937 से शासन प्रारम्भ हुआ ।
   गर्वनर द्वारा प्रांतीय कार्यकारी दायित्वों को निर्वटन मुकुट के प्रतिनिधि के रूप मे करना प्रारम्भ जनरल के अधानिष्थ के रूप मे गर्वनर द्वारा मंत्रियो की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य था तो कि विद्यायिका के लिए उत्तरदायी थे किन्तु गर्वनर को विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके लिए इसे मंत्रियो की सलाह के स्थान पर वायसर.ास के माध्यम से भारत सचिव की और से कार्य करना था ।
3. गर्वनर जनरल द्वारा सुरक्षा विदेष सम्बंध आदिवासी क्षैत्रो का प्रषासन तथा चर्चा सम्बंधी विषयों को अपने द्वारा नियुक्त सलाहाकारो के माध्यम से देखा जाना था जबकि अन्य विषयों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना था जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी थी
   इन कार्यो के सन्दर्भ मे भी यदि गर्वनर जनरल को विशेष उत्तरदायित्वो का निर्वहन करना है तो मंत्रिपरिषद की सलाह के विरूद्ध भारत सचिव के नियंत्रण एवं निदेशन से कार्य कर सकता था ।
4. गर्वनर जनरल की वीटो शक्ति के अतिरिक्त राजमुकुट भी केन्द्रीय विधायिका को वीटो का सकता है
5. गर्वनर जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्वों का हवाला देकर विधायिका मे किसी भी चर्चा अथवा बिल रोक सकता था ।
6. अध्यादेष की शक्ति के साथ गर्वनर जनरल को सदन के चलते रहने की स्थिति मे भी कानून बनाने का अधिकार था
7. गर्वनर जनरल की विवेकाधीन शक्तियो मे कमी करने वाला कोई भी प्रस्ताव उसकी पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता था ।

8. प्रान्तो द्वारा पारित किये गये अधिकांश प्रस्तावो को गर्वन जनरल अथावा राजमुकुट की स्वीकृति के लिए रोका जा सकता था ।
9. यद्यपि देषी रिसायते उक्त प्रस्ताव मे शामिल नही हुई तथापि केन्द्र संरकार और प्रान्तो के मध्य संघात्मक प्रावधान क्रियाविन्त हुऐ जो कि प्रत्यायोजन नही था ।
10. अवशिष्ट शक्तियां न तो केन्द्रीय विधायिका मे निहीत थी और नही प्रांतीय विधायिका मे गर्वनर जनरल दोनो मे से किसी को भी प्राधिकृत कर सकता था । वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान था ।

भारत शासन अधिनियत 1947

3 जुलाई 1947 को भारत के वायसराय माउन्ट बेटन ने विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे माउन्ट बेटन योजना कहते है ।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनो के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू किया गया इसकी निम्न विषेशताऐं थीः-

1. भारम मे ब्रिटिष राज समाप्त हुआ तथा भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वंतत्र एवं सम्प्रभु, राष्ट्र घोशित किया गया
2. इसमे भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाये जिन्हे ब्रिटिष राश्यट्रमण्डल से अलग होने की स्वतंत्रता थी ।
3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनो डोमिनियन के लिए अलग अलग गर्वनर जनरल का प्रावधान किया जिसकी नियुक्ति डोमिनियन केबिनेट की सिफारिश पर राजमुकुट को करनी थी -ब्रिटेन की सरकार पर भारत या पाकिस्तान की सरकार का कोई उत्तरदायित्व नही था ।
4. इसके माध्यम से दोनो देषो की संविधान निर्मात्री सभा को अपनी इच्छानुसार संविधान बनाने एवं लागू करने का अधिकार मिला साथ ही ब्रिटिष संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार मिला
5. इसने दोनो देषो की संविधान सभा को प्राधिकृत किया कि जब तक नया संविधान लागू नही हो जाता तब तक अपने अपने क्षैत्र के लिए ये कानून बनाने का कार्य कर सकेगी । 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिष संसद द्वारा घोशित पारित कोई भी कानून दोनो देषो पर तब तक प्रभावी नही होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी सहमति न दे
6. ब्रिटेन मे भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसकी सभी षक्तियां राश्ट्रमण्डल सचिव को स्थानान्तरित हो गई ।
7. 15 अगस्त 1947 से भारतीय रिसायतो पर ब्रिटिष सम्प्रभूत समाप्त हो गई तथा रिसायतो को भारत अथवा पाकिस्तान मे मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की आजादी दी गई ।
8. ब्रिटिष काल का वीटो का अधिकार तथा स्वंय की अनुमति के लिए ब्रिटिष राजा का विधयेक को रोकने का अधिकार समाप्त हो गया किन्तु कुछ परिस्थितियो मे गर्वनर जनरल को यह अधिक दिया ।
9. भारत के गर्वनर जनरल व राज्यो के गर्वनर को सर्वेधानिक प्रमुख के रूप मे स्थापित किया जिनकी षक्तियां यथार्थ न होकर नाममात्र की थी इन्हे मंत्री परिशद की सलाह के अनुसार कार्य करना था ।
10. 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि ब्रिटिष शासन का अन्त हुआ तथा सत्ता दोनो डोमिनयन देशो को मिली
    - भारत के प्रथम गर्वनर जनरल माउन्ट बेटन तथा प्रथा स्वंतत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को षपथ दिलाई
    - भारत की संविधान सभा भारत की संसद की तरह कार्य करने लगी ।

- पाक का G.G. मौहम्मद अली जिन्ना
- सर्वोच्च शक्ति का निर्वाचित होना – गणतंत्र
- वंषानुगत होना– राजतंत्र
- नीचे की शक्ति का जनता द्वारा चुना जाना – लोकतंत्र

<u>संविधान सभा</u>

- सर्वप्रथम 1895 ई. मे बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की
- 1921 गांधीजी ने संविधान सभा की मांग की
- 1934 मानवेन्द्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग की (**M.N.** रॉय)
- 1935 कांग्रेस ने पहली बार अधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की
- 1938 कांग्रेस के प्रतिनिधी के तौर पर जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक वयस्क मतदान के आधार पर निवार्चित संविधान सभा की मांग की
- 1940 अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा यद्यपि संविधान सभा शब्द का उल्लेख नही किया गया।
- 1942 क्रिप्स मिशन निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्राांतीय विधान मण्डल के निम्न सदन के सदस्यो के द्वारा
- 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया इसकी निर्वाचन प्रान्तीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यो के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधत्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा।

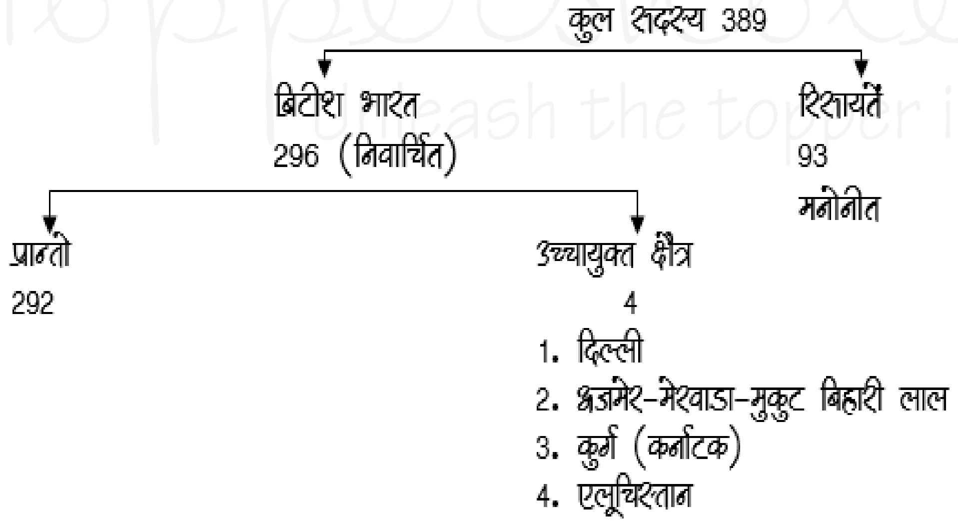

- जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था
- कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुऐ थे
- मुस्लिम के लिए 76 सीट आरक्षित की गयी थी उसमे से 73 सीट पर मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुऐ थे।
- संविधान सभा के चुनावो के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संधिवान सभा का बहिष्कार कर दिया।
- महात्मा गांधी एवं मौहम्मद अली जिना ने चुनाव नही लडा था।
- कुल 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी।
- जय प्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रु ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था।

- 9 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वरिष्टतम सदस्य सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया ।
- 11 दिसम्बर 1946 संविधान सभ की दूसरी बैठक हुई थी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया
- **H.C.** मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।
- **T.T.** कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया
- B.N. राव को संवैधानिक सलाहाकार नियुक्त किया गया
- संविधान का पहला प्रारूप **B.N.** राव ने तैयार किया था जबकि अन्तिम प्रारूप समिति ने तैयार किया था ।
- 13 दिसम्बर 1946 पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ।
- 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया ।

उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताऐं

1. सम्प्रभू व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना ।
2. लोकतांन्त्रिक गणराज्य की स्थापना ।
3. नागरिको को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याा प्रदान करना
4. नागरिको को मूल अधिकार प्रदान करना ।
5. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना
6. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना ।
   - उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिऐ दिशा निर्देशिका था जिसमे संविधान के आदर्शो को इसमे शामिल किया गया

महत्वपूर्ण समितियाँ

1. संघीय संविधान समिति
2. संघीय शक्ति समिति   अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू
3. प्रान्तीय शक्ति समिति
4. प्रान्तीय संविधान समितिः- अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल
5. मूल अधिकार, अल्प संख्यक, अनूसुचित व जनजातीय क्षैत्र तथा बाह्मय क्षैत्र के लिए समिति सरदार बल्लभ भाई पटेल

1. मूल अधिकार उप समिति- जे.के कृपलानी
2. अल्पसंख्यक के लिए उप समिति- **H.C.** मुखर्जी
3. अनूसुचित व जनजातीय क्षैत्र उप समिति- गोपीनाथ बारदोलोई
4. बाह्मय व आंशिक बाह्मय क्षैत्र के लिए उप समिति - **A.V.** ठक्कर

प्रारूप समिति

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. गोपाल स्वामी आयगंर
3. कृष्णा स्वामी अय्यर
4. **K.M.** मुंशी
5. मौहम्मद सादुल्लाह
6. **N.** माधव राव   (**B.L.** मित्र त्याग पत्र)

7. **T.T.** कृष्णामाचारी (**D.P.** खेतान की मृत्यु)

- इसके बाद प्रारूप समिति ने 60 देशो के संविधान का अध्ययन किया और उससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया ।
- प्रथम पठन 4 नबम्वर 1948 से 9 नबम्वर 1948 तक किया ।
- द्वितीय पठन 15 नबम्वर 1948 से 17 अक्टूवर 1949 तक किया ।
- तृतीय पठन 14 नबम्वर से 26 नबम्वर 1949 तक किया ।
- 26 नबम्वर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये ।

15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका

1. सम्प्रभु संस्था के रूप मे स्थापित हुई केबनिट मिशन की अनुशंशा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गयी ।
2. 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया संविधान सभा के साथ-साथ विधानमण्डल के रूप मे कार्य किया ।
3. आजादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये थे ।

299 सदस्य
- 229 ब्रिटीश प्रान्त
- 70 रियासतों

299 मे से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे ।
15 अनुच्छेद 26 नबम्बर 1949 को लागू किये गये
अनु. 5,6,7,8,9 (नागरिकता से सम्बन्ध)
अनु. 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
अनु. 324 (निर्वाचन आयोग)
अनु. 366, 367 (निर्वाचन सम्बन्धि शहदावली)

	आरम्भ	वर्तमान
-	मूल संविधान मे भाग 2 थे	25
	अनुच्छेद 395	460
	अनुसचियाँ 8	12

सविधान सभा के द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

- 22 जुलाई 1947- राष्ट्रध्वज को मान्यता दी
- मई 1949 "राष्ट्रमण्डल की सदस्यता" को मान्यता दी गयी
- 24 जनवरी 1950 राश्ट्रगान व राश्ट्रगीत को मान्यता दी गयी,
- 24 जनवरी 1950 भारत के प्रथम राश्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया
- 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा की अन्तिम बैठक थक और इसके बाद इन्हाने इसको भंग कर दिया गया इसके बाद संविधान सभा विधानमण्डल के रूप मे यह कार्य करती रही (1950 तक)

प्रस्तावना
हम भारत के लोग – अर्थात सम्प्रभूता भारत की जनता मे निहित है ।
भारत को – सम्पूर्ण प्रभूत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाना
न्याय – सामाजिक आर्थिक राजनीतिक
स्वतंत्रता– विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना
समता – प्रतिष्ठा अवसर
बंधुता – व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखण्डता

26 नबम्बर 1949 ई. मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवति 2006 विक्रमी अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते है ।

सम्पूर्ण प्रमुख सपन्न
15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1650 तक भारत अधिराज्य (डोमिनियन स्टेट था) इस समय की हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संचालित होती थी । तथा पाकिस्तान मे 1956 तक अधिराज्य रहा था कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आज भी अधिराज्य है यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से पूर्णत स्वतंत्रत राष्ट्र है लेकिन सैद्धान्तिक रूप से इनका राष्ट्र प्रमुख आज भी ब्रिटिश क्राउन है ।

- सम्प्रभु राष्ट्र से तात्पर्य है कि कोई भी देश पूरर तरह से स्वतंत्र जो किसी भी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र या बाह्मय सत्ता से निर्देश प्राप्त नही करता हो अर्थात जो राष्ट्र जो अपने सभी निर्णय स्वतंत्र लेता हो ।
- यद्यपि वर्तमान मे भी हम अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ के निर्णय को मानते है तथा अन्य देशो का राजनैतिक दबाब भी हमारे ऊपर होता है लेकिन इससे हमारी सम्प्रयुता सिमित नही होती है लेकिन इससे हमारी सम्प्रभूता सिमित नही होती है क्योकि इन संगठनों की सदस्यता हमने स्वेच्छा से रखी है और यह हमारे राष्ट्रीय हितो के अनुकूल है इसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय दबाब को भी हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान मे रखकर ही सहन करते है ।

समाजवाद
भारत सान्यवादी देश नही है हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है यह लोकतान्त्रिक समाजवाद है यह हिंसक क्रांति का समर्थन नही करता है यह संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है अर्थात योग्यता के आधार पर संसाधनो के वितरण की बात करता है लोकतान्त्रिक आन्दोलन से बदलाब लाने की बात करता है यह निजि सम्पत्ति को मान्यता देता हे यह संसाधने के संकेन्द्रण का विरोध करता है सभी लोगो की बुनियादी आवश्यकताऐं पूरी होनी चाहिए गरीबो और वंचितो को संरक्षण दिया जाना चाहिए ।

पंथनिरपेक्ष
- भारत एक धर्मनिरपेक्षण राष्ट्र है क्योकि हमारा कोई राष्ट्रय धर्म नही है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जाता है धर्म धर्मो के लोगो के साथ समान व्यवहार किया जाता है सभी लोगो को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है सरकारी योजनाओ और कार्यक्रमो का लाभ सभी लोगो के लिए समान रूप से उपलब्ध है।
- सभी लोगो को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है
- प्रस्तावना मे भी पंथनिरपेक्षता, पाश्चात्य, पंथनिरपेक्षता से अलग है क्योकि दोनो ही पंथनिरपेक्षताओ का उच्च निम्न परिस्थतियों व कारणों से हुआ है पाश्चातय पंथनिरपेक्षता पुर्नजार्गरण धर्म सुधार

आन्दोलन वे प्रबोधन के कारण अस्तित्व मे आयी है । लेकिन भारतीय पंथनिरपेक्षता को बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज के कारण अपनाया गया है इसलिए भारत मे पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म का राजनीति से पृक्करण नही है बल्कि इसका अर्थ है ‘‘सर्व धर्म समभाव’’ । और इसलिए राज्य सभी धर्मो को समान संरक्षण देता है धार्मिक पहचान को मान्यता देता है इस आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा भी देजा है धार्मिक कार्यक्रमो को आयोजन भी करवाता है धार्मिक संस्थाओ का संचालन भी करता है धार्मिक कार्यो के लिए सब्सिडी उनलब्ध करवाता है सभी धर्मो के लिए अलग नागरिक संहिता है धार्मिक संस्थाओ को फेरो मे छूट दी जाती है ।

- अतः भारत मे धर्म को शासन व्यवस्था से पृथक नही किया गया बल्कि सभी धर्मो को समान संरक्षण दिया गया ।

लोकतंत्र

लोकतंत्र दो प्रकार के होते हे ।

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

प्रत्यक्ष लोकतंत्र

यदि जनता की शासन मे प्रत्यक्ष भागीदारी हो अर्थात महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं प्रशासनिक निर्णय जनता की सहमति से किये जाते है इस तरह का लोकतंत्र केवल छोटे देशो मे सम्भव हो सकता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न रूप है :-

1. Referendum जनमत संग्रह
2. Plebiscite जनमत संग्रह

3-Right to Recall

4. Initiative

- भारत जैसे देश मे प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव नही है क्योकि विशाल जनसंख्या, विस्तृत भौगोलिक क्षैत्र बुनियादी ढाँचा कमजोर अर्थात संचार के सांधनो की कमी शिक्षा का अभाव राजनैतिक जागरूकता का अभाव इत्यादि ।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

इसके तहत जनता शासन मे अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रशासनिक निर्णय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लिये जाते है ।

इसके अनेके रूप है जैसेः-

1. संसदीय शासन व्यवस्था- ब्रिटेन
2. अध्यक्षात्मक शासप व्यवस्था - अमेरिका
3. दोहरी कार्यपालिका- फ्रांस
4. बहुल कार्यपालिका- स्वीजरलैण्ड

भारत मे संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ।

इसी तरह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अन्य देशो मे भी वगीकृत किया जा सकता है ।

1. संघीय शासन व्यवस्था- अमेरिका
2. एकात्मक शासन व्यवस्था - ब्रिटेन

भारत मे अर्द्धसंघीय शासन व्यवस्था है ।

गणतंत्र/गणराज्य

- यदि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधी होता है तो इसे गणतंत्र कहते है भारत एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है जिसमे की शासन की शक्तियों भी जनता मे निहित है और राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति है जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे देश मे लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नही है क्योकि उनके राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है ।

समाजिक न्याय

- सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित वातावरण जैसे कि धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लैगिंक भेदभाव, भाषायी भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव विकलांगत से युक्त भेदभाव आदि ।
- व्यक्ति को अच्छा सकारात्मक वातारवरण उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तिगत का विकास कर सके ।

आर्थिक न्याय

- संसाधनों का सकेन्द्रण नही होना चाहिए जबकि इनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए सभी लोगो की बुनियादी आवश्यकताऐं बन्द होनी चाहिए और सभी के लिए रोजगार उपलबध होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति का शोषण नही होना चाहिए इस के लिए बंधुआ मजुदर व बेगार प्रथा बन्ध होनी चाहिए ।

राजनीतिक न्याय

- सभ लोगो को मतदान व चुनाव लडने का अधिकार होना चाहिऐ ।
- निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए ।
- चुनावों मे बाहुबल व धनबल का प्रयोग नही किया जाना चाहिए इसी तरह चुनावों मे जातिवाद, क्षैत्रवाद जैसेः- मुद्दो का प्रयोग ना हो ।

42वाँ संविधान संशोधन इसके प्रस्तावना मे तीन शब्द जोडे गये थे

1. समाजवाद
2. पंथनिरपेक्षता
3. अखण्डता

प्रस्तावना का आलोचना

- प्रस्तावना एक तरह की नकल है क्योंकि इसकी पहली लाईन अमेरिका से ली गयी है तथा शेष प्रारूप आस्ट्रेलिया से लिया गया है ।
- प्रस्तावना संविधान का भाग है लेंकिन यह सशक्त नही है क्योकि यह न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय नही है ।
- प्रस्तावना मे लिये हुऐ शब्द समाजवाद व पंथनिरपेक्षता स्पष्ट नही है क्योकि 1951ई. के बाद से हम क्रमिक रूप से पूँजीवाद की तरफ बढ रहे है तथा हम सभी धर्मो को संरक्षण दे रहे है ।

भाग–1 Union and its territory
(संघ एवं इसका क्षैत्र)

अनुच्छेद (Aritcle)–1 (जब संविधान लिखा)
1. भारत का नाम– भारत व इण्डिया होगा
2. भारत एक राज्यो का संघ है **(Union of State)**
   (अमेरीका को federation of states है राज्यो का समूह
3. Territory of india – भारत का सम्पूर्ण प्रदेश
4. Union territory– केन्द्र शासित प्रदेश
5. Union of state – राज्यो का संघ

(Aritcle) – 2
नये राज्यों का प्रदेश या स्थापना/भारत के बाहर के राज्यो को ले सकते है ।

(Aritcle) – 3
भारत के राज्यो का केन्द्र सरकार कैसे भी तोड मोड सकती है ।
इसके लिए 2 Condition होनी चाहिए ।
1. ऐसा कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत होगा ।
2. वह प्रस्तुत सम्बधित राज्य/राज्यों को भेजा जाऐगा व उनका सुझाव लिया जाऐगा, फिर वह राष्ट्रपति के निर्णय पर आधारित होगा ।

संविधान संशोधन के Type
1. साधारण बहुमत– (Present Voting)
2. Special Majarity- सदन की पूरी Steength का 50%+1 हो तथा उपस्थित मतदान का $^2/_3$
3. आधे राज्यो की सहमति (Special Majorlly& Rectification)

हमारी प्रस्तावना 4 बाते बताती है :-
1. शक्ति का स्त्रोत– जनता स्वंय
2. राज्य की प्रकृति–सम्पूर्ण प्रभूत्व सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी
3. उद्देश्य–न्याय स्वतंत्रता समानता तथा बन्धुत्व की भावना
4. कब–26 नवम्बर 1949 संविधान दिवस

Qus. सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयो के आधार पर संविधान के मूल ढांचे मे क्या परिवर्तन है
Qus. संविधान का मूल ढाँचा क्या है ।
Ans.
1. संविधान सर्वोच्य है (संविधान की सर्वोच्चता)
2. सम्प्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक– भारतीय व्यवस्था का सम्प्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक
3. संविधान का धर्म निरपेक्ष स्वरूप
4. शक्तियो का पृथ्ककरण (कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका, व न्यायपालिका के बीच पृथ्ककरण)
5. संविधान की संधीय प्रवृत्ति

6. welfare state (socio economic, Justice)
   कल्याणकारी राज्य (सामाजिक आर्थिक न्याय)
7. न्यायिक पुनरावलोकन
8. व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
9. संसदीय शासन प्रणाली
10. कानून का शासन (Rule of low)
11. मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य
12. समानता का सिद्धान्त
13. मुक्त एवं स्वच्छ चुनाव
14. स्वतंत्र न्यायपालिका (Undependent of Judiciary)
15. संविधान संशोधन की संसद की समिति शक्ति
    (limited power of parliament to amend the constitution)

1956 मे 7 वां संविधान संशोधन अधिनियम

इसमे पहली शासित प्रदेश बनाये गये उससे पूर्व भारत 4 तरह के राज्यो मे विभक्त था A,B,C,D – 1966 मे 18वां सं.स. अधि कमे आर्टिकल मे संशोधन किया राज्य को तौड सकते है व साथ ही राज्य केन्द्र शासित प्रदेशो को मिला सकते है नये राज्यो का निर्मार्ण कर सकते है अथवा उनकी सीमाओ मे परिर्वतन कर सकते है ।

इसके लिए विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद मे प्रस्तुत किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह अपनी प्रस्तुति देने से पूर्व सम्बंधित राज्य/राज्यो का मत जानने के लिए विधेयक को भेजा जायेगा ।

राज्य का मज मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नही है ।

ऐसा प्रस्ताव संसद मे साधारण बहुमत अर्थात उपस्थित व मतदान करने वालो के बहुमत से पास किया जाऐगा ।

आर्टिकल के तहत भारत कें किसी भाग को किसी विंदेशी सत्ता को नही दिया जा सकता है

इस तरह का हस्तान्तरण आर्टिकल 368 के तहत संविधा संशोधन विधेयक के माध्यम से सदन की कुल संख्या बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का $^{2}/_{3}$बहुमत के माध्यम से किया जायेगा ।

सीमा निर्धारण के लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नही है ।

भारत एक विभाज्य राज्यो का अविभाज्य संघ है ।